

संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

अ-2-3/यूडी /पदो/स्था./334-09/222

भोपाल दिनांक 13-1-22

:: आदेश ::

निम्नलिखित कृषि विकास अधिकारियों को अस्थाई रूप से अन्य आगामी आदेश तक वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के पद पर वेतनमान रूपये 5500-175-9000 (पुनरीक्षित वेतन बैंड रूपये 9300-34800 रूपये 3600 ग्रेड पे) में निम्नलिखित शर्तों पर पदोन्नत कर पदस्थ किया जाता है :-

1. यदि यह पाया गया है कि पदोन्नत किये गये कर्मचारी से वरिष्ठ कोई कर्मचारी किसी कारणवश पदोन्नत नहीं हो पाया है तो नियमानुसार वरिष्ठता निर्धारण कर कनिष्ठ व्यक्ति को पदावनत किया जा सकता है।
2. जिस जिले/संभाग में इस आदेश से प्रभावित कर्मचारी वर्तमान में कार्यरत है, उस संभाग /जिले के संयुक्त संचालक कृषि/उप संचालक कृषि को यह देखना होगा कि कर्मचारी के विरुद्ध कोई निलंबन / अभियोजन प्रताड़ना अथवा विभागीय जांच लंबित तो नहीं है। यदि किसी प्रकरण में विभागीय जांच लंबित हो या विभागीय जांच का निर्णय जिसमें पदोन्नति प्रभावित होती है तो यह पदोन्नति निरस्त मानकर यह आदेश वितरित नहीं किया जावे तथा संबंधित व्यक्ति का आदेश संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास, म.प्र.भोपाल को मूलतः वापस करें। विभागीय जांच के निर्णय या दण्ड अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रकरण पर पुनर्विचार किया जावेगा।
3. पदोन्नत कर्मचारी उस जिले/संभाग में कार्यरत नहीं है जहां की आदेश में दर्शाया गया है तो आदेश को उस संभाग/जिले के संयुक्त संचालक कृषि/उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास को भेजा जावे जहां वह कार्यरत है।
4. पदोन्नत कर्मचारी का विवरण का मिलान उसके व्यक्तिगत अभिलेखों से मिलान करने के उपरान्त ही आदेश वितरित किये जावे तथा विवरण में अंतर हो तो संबंधित को आदेश वितरित न करते हुये संचालनालय को विवरण सहित वापिस लौटावे।
5. यदि कोई कृषि विकास अधिकारी पूर्व में पदोन्नत हो चुका हो /मृत्यु हुई हो /त्याग-पत्र दिया गया हो /स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो गया हो तो उसके संबंध में पूर्ण जानकारी सहित आदेश मूलतः वापस लौटावे।
6. इस पदोन्नति आदेश के जारी होने के दिनांक से 1 माह के अंदर अपने पदोन्नति स्थान पर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा यह आदेश ऐसी स्थिति में निष्प्रभावी माना जावेगा।
7. जिस कार्यालय के अधीन पदोन्नत कर्मचारी कार्यभार ग्रहण करेगा, वहां के कार्यालय उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से शीघ्र संचालनालय को अवगत करावेगा।


ado-sado adesh



8. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण संबंधित सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों का पालन किया गया है ।
9. पदोन्नति आदेश प्राप्त होने के दिनांक से एक माह के भीतर वेतन निर्धारण हेतु विकल्प प्रस्तुत किया जावेगा । एक माह पश्चात दिया गया विकल्प मान्य नहीं होगा ।

संलग्नक क्र०	वरिष्ठता क्र०	कर्मचारी/अधिकारी का नाम	शैक्षणिक योग्यता	जाति	जन्म तिथि	गृह विकास खण्ड / तहसील गृह जिला	संवर्ग में नियुक्ति दिनांक	वर्तमान पद स्थापना जिला	पदोन्नति उपरान्त नवीन पदस्थापना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	11	श्री बी.एस. तोमर	कृषि स्नातक	सामान्य	16/04/55	मुरैना	07/02/84	टीकमगढ़	टीकमगढ़
2	276	श्री पी.एल. अहिरवार	हा. से.	अ.जा.	11/05/53	टीकमगढ़	01/03/00	टीकमगढ़	वि.ख. राहतगढ़ जिला सागर
3	279	श्री वाय. एस. इरपाचे	मेट्रिक	अ.ज.जा.	12/01/57	बैतूल	28/10/00	रायसेन	उप. संघा कृषि विदिशा के अधीन
4	436	श्री डी.एस. भलावी	हायर सेकेंड्री	अ.ज.जा.	11/7/57	छिन्दवाडा	25/08/04	सिवनी	उप. संघा कृषि वालाघाट के अधीन

इन पदोन्नत कर्मचारियों से कोई कनिष्ठ कृषि विकास अधिकारी यदि पूर्व आदेश क्रमांक अ-2-0/यू डी/स्थापना पदोन्नति /360-10/4278-79 दिनांक 23.8.2011 से वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नत हो गये हो तो इस आदेश के अन्तर्गत पदोन्नत कृषि विकास अधिकारी की वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी संबर्ग में उन कनिष्ठ व्यक्तियों के ऊपर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की स्थिति दर्शाने वाली वरिष्ठता सूची के आधार पर वरिष्ठता दी जावेगी ।


 संचालक
 किसान कल्याण तथा कृषि विकास
 मध्यप्रदेश, भोपाल

अ-2-3/यूडी /पदो/स्था./334-09/ 223

भोपाल दिनांक 13-1-12

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशेष सहायक मा0 मंत्री म.प्र.शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग., भोपाल ।
2. विशेष सहायक मा0 राज्य मंत्री म.प्र.शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग.,भोपाल की एकल नस्ती टीष कमाव 22 दिनांक 10.1.2012 के सन्दर्भ में प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,मंत्रालय, भोपाल ।
3. संयुक्त संचालक (बजट) संचालनालयीन म.प्र. भोपाल ।
4. संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास सागर /भोपाल/ जबलपुर सभाग ।
5. उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला टीकमगढ/ सागर /रायसेन / बिदिशा / सिवनी / बालाघाट /जबलपुर सभाग
6. संवधित श्री -----कृषि विकास अधिकारी द्वारा अनुकमांक 5
7. आदेश नस्ती

संयुक्त संचालक कृषि(स्था0)
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
म.प्र., भोपाल